



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 501 राँची, मंगलवार, 13 आश्विन, 1943 (श०)
5 अक्टूबर, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर, 2021

संख्या--09/आरोप-राँची-112/2020-3261(09),--श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन वन बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची (सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका) के विरुद्ध श्याम सुन्दर सिंह वनाम राज्य सरकार में मुआवजा वाद संख्या-01/2012-13, 02/2012-13, 03/2012-13 , 04/2012-13 एवं 05/2012-13 में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिनांक-06.08.2013 को आदेश पारित करने के आरोप में गठित आरोप प्रपत्र-क जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक-12 (ii) दिनांक-04.01.2021 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. सम्यक समीक्षोपरांत आरोप प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु श्री प्रसाद के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः एतद् द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन वन बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची (सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका) को निदेश दिया जाता है कि वे एक पक्ष के भीतर निम्नांकित कंडिका-4 में नामित संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में अपना पक्ष रखेंगे एवं इसकी एक प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

4. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रामाकान्त सिंह, से.नि.भा.प्र.से., विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
5. विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखने हेतु अपर समाहर्त्ता, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा,

सरकार के संयुक्त सचिव।
